भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1775

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

केन्द्रीय श्रम संस्थान

1775. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय श्रम संस्थान, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) में निदेशक स्तर का एक चिकित्सक बायोलॉजिकल क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ इंडिया के कहने और उसके व्यय पर अमरीका गया है और क्रिश्चियन चर्च में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है और खुलेआम लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में जांच की स्थिति का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सीएलआई मुंबई के चिकित्सको ने डीजीएफएएसएलआई द्वारा किए गए सिलिकोसिस सर्वेक्षण में बहुत भ्रष्टाचार किया है और आठ वर्षों से बिना कार्रवाई के लंबित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में डॉक्टरों के विरुद्ध की गई जांच की स्थिति क्या है;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए सिलिकोसिस सर्वेक्षण में डीजीएफएएसएलआई में भ्रष्टाचार और उच्च न्यायालयों में मामलों को कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के विरुद्ध माना गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार चिकित्सा अधिकारियो/चिकित्सकों के विरुद्ध मामलों पर कार्रवाई कर रही है और यदि हां, तो उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय श्रम संस्थान कामगारों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है और यदि हां, तो देश में राज्य-वार उक्त कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं; और

(छ) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रम संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): डॉ शक्ति सामंत वाघे, निदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय श्रम संस्थान (सीएलआई), कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान निदेशालय (डीजीफासली), ने सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 12-17 जुलाई, 2011 के बीच गिदोन्स इंटरनेशनल, अमेरिका द्वारा शार्लेट, एनसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था।

जारी...2/-

(ग) से (ङ): डीजीफासली ने वर्ष 2016 से 2018 के बीच कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-91 के तहत, वर्ष 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 110 में पारित दिनांक 30.08.2016 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सिलिकोसिस से प्रभावित कामगारों का एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वेक्षण का आयोजन किया था।

इसके पश्चात डॉ शक्ति सिंह वाघे, निदेशक के विरुद्ध सिलिकोसिस रोग की चपेट में न आने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण, शक्ति का दुरुपयोग करते हुए औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के अधीक्षक का उत्पीड़न, स्टेशनरी का झूठा दावा तथा यात्रा भत्ता नियमों का उल्लंघन और इस तरह सरकारी निधि का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई है। उपरोक्त आरोपों की जांच के लिए निदेशक डॉ. शक्ति सिंह वाघे के विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ की गई है।

(च) और (छ): कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है जिसमें केन्द्रीय श्रम संस्थान (सीएलआई), मुंबई तथा फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई में चार क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई) हैं। इन संस्थानों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा कारखानों और बंदरगाहों सहित कार्यस्थलों को कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों पर तकनीकी सलाह और सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अलावा, शिलांग, मेघालय में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना को सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

****